भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 305वीं बैठक दिनांक 24.09.2024 के कार्यवाही विवरण

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2024 / डी–1409 दिनांकः– 30/9/2024

## –ःकार्यवाही विवरणः–

**विषयः–**भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 305वीं बैठक दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

1. **एजेण्डा नम्बर 305.1 (24.09.2024):–**

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 304वीं बैठक दिनांक 18.09.2024 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा।

2. **एजेण्डा नम्बर 305.2 (24.09.2024):–(जोन–01)**

**विषयः– खसरा संख्या 180, 181, 184 एवं 186, ग्राम झालाना डूंगर, तहसील सांगानेर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर व्यवसायिक परिसर हेतु जारी पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र बाबत एवं सम्पूर्ण परियोजना के भवन मानचित्र की वैधता अवधि बढायें जाने के संबंध में।**

**प्रकरण के तथ्यः–**

1. प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) प्रकोष्ठ में भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु दिनांक 21.02.2013 को प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में 32.95 मीटर ऊँचाई के आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन की सर्वप्रथम स्वीकृति दिनांक 21.10.2014 को जारी की गई।
2. तत्पश्चात् आवेदक द्वारा दिनांक 06.04.2015 को संशोधित मानचित्र हेतु आवेदन किया गया। उक्त प्रकरण को भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 174वीं बैठक दिनांक 13.07.2015 व 187वीं बैठक दिनांक 26.10.2016 में प्रस्तुत किया गया। नगरीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 21.07.2017 को 39.8 मीटर ऊँचाई के आवासीय एवं 56.29 मीटर ऊँचाई के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की गई। दिनांक 08.08.2017 को प्रकरण में 39.8 मीटर ऊँचाई के आवासीय एवं 56.29 मीटर ऊँचाई के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृत किये गये। तपश्चात् संशोधन हेतु आवेदन करने पर दिनांक 27.08.2020 को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 56.17 मीटर (टेरेस), 59.39 मीटर (मशीन रुम सहित) ऊँचाई के मानचित्र स्वीकृत किये गये।
3. प्रकरण में दिनांक 15.07.2021 को भवन निर्माण अवधि में विस्तार की स्वीकृति आदेश दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मार्च, 2023 तक बढ़ाई गई। प्रकरण में जविप्रा स्तर पर पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।
4. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या–16.5 में पंजीकृत वास्तुविद् से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार वास्तुविद् द्वारा जारी पूर्णता

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संबंधित निकाय को प्रस्तत किये जाने का उल्लेख है, साथ ही भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या–17.2 अनुसार पंजीकृत वास्तुविद् अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत है। आवेदक द्वारा दिनांक 16.09.2022 को वास्तुविद् द्वारा दिनांक 13.09.2022 से व्यवसायिक ब्लॉक हेतु जारी पूर्णता प्रमाण पत्र (समस्त दस्तावेज सहित) प्रस्तुत किया गया। जिसे जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है। भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 16.6 अनुसार आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का उल्लेख है।

5. तत्पश्चात् आवेदक द्वारा दिनांक 15.05.2023 को वास्तुविद् द्वारा दिनांक 13.10.2022 से जारी व्यवसायिक ब्लॉक हेतु अधिवास प्रमाण पत्र (आवश्यक दस्तावेज सहित–अग्निशमन अनापत्ति, लेबर सेस अनापत्ति, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Consent to operate आदि) प्रस्तुत किया गया, जिनकी जांच करने से पूर्व लेखा/स्वामित्व/ बकाया की रिपोर्ट हेतु पत्रावली जोन–01 में प्रेषित की गई थी। भवन विनियम में आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं है।
6. विकासकर्ता द्वारा दिनांक 23.05.2023 द्वारा प्रकरण में 2.5 वर्ष भवन निर्माण अवधि में विस्तार की स्वीकृति बाबत् आवेदन किये जाने पर शाखा द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में जोन से स्वामित्व, विधिक, बकाया राशि आदि की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु मूल पत्रावली 23.05.2023 को प्रेषित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आज दिनांक तक अप्राप्त है।
7. जोन–01 की एक अन्य पत्रावली F () Zone-1/2024-00130-10419 के पैरा 108/एन पर प्रकरण के संबंध में उल्लेखित रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–
उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाईसेसिंग एवं लीगल जयपुर द्वारा फॉर्म–ए–एप्लीकेशन फोर एन.ओ.सी./लाईसेंस फोर सिनेमेटोग्राफी संलग्न कर प्रकरण में खसरा नं 180,181, 184, व 186 वार्ड नं 129 जेएलएन मार्ग तहसील सांगानेर, जयपुर पर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स Horizone Tower (Jewel Of India) के प्रथम पर 07 स्कीन (ऑडी) हेतु राजस्थान सिनेमा रेग्यूलेशन अधिनियम 1952 एवं रूल्स 1959 के अंतर्गत सिनेमा संचालन हेतु अनुज्ञा पत्र के क्रम में कार्यालय द्वारा भवन निर्माण अनापत्ति के संबंध में रिपोर्ट मय स्पष्ट अभिशंषा के मांगी गई है जिसके संदर्भ में जोन–01 के कनिष्ठ अभियंता व सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रश्नगल प्रकरण में मौका देखा गया। मौके पर प्रार्थी द्वारा भवन के सामने निर्मित सरकारी नाले पर तार फेंसिंग कर अतिक्रमण किया हुआ पाया गया जिसकी परफॉरर्मा रिपोर्ट तैयार कर प्रवर्तन अधिकारी (जोन–01), जविप्रा को भिजवाई गई है।
8. इसी क्रम में प्रश्नगत बिल्डिंग के संबंध में राजस्थान सम्पर्क पॉर्टल पर श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है जो निम्नानुसार है– "आपको बता दे कि जविप्रा के जोन–01 में स्थित खसरा संख्या–180, 181 व 186 ग्राम झालाना डूंगर तहसील सांगानेर जेएलएन मार्ग, जयपुर पर व्यावसायिक और आवासीय परिसर बनाने हेतु मै. जय ड्रींक्स प्रा.लि. द्वारा जविप्रा को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए जविप्रा द्वारा भूखण्ड पर व्यावसायिक भवन बनाने हेतु संशोधित नक्शे दिनांक 27.08.2020 को मैं. जय ड्रॉक्स के पक्ष में स्वीकृत कर दिये थे। स्वीकृत नक्शों के अनुसार मिश्रित परियोजना में से कॉमन बेसमेन्ट प्रथम व द्वितीय (आवासीय

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

व्यावसायिक) एवं आवासीय ब्लॉक के भवन मानचित्रों को छोड़ते हुए शेष व्यावसायिक ब्लॉक के 56.17 मीटर उँचाई के लॉवर ग्राउण्ड फ्लोर अपर ग्राउण्ड फ्लोर प्रथम तल, ऑडी एन्ट्री लेवल, ऑडी अपर लेवल, ऑफिस लेवल–द्वितीय फ्लोर से 10 फ्लोर नक्शे स्वीकृत किये गये। स्वीकृत नक्शों के अनुसार व्यावसायिक बिल्डिंग Horizon Tower (Jewel Of India) के द्वितीय फ्लोर पर तीन रेस्टोरेन्ट प्रस्तावित बताए गए थे। इन तीनों रेस्टोरेन्टों का साईज क्रमशः 7420, 6420, 4440 वर्गफीट था जिसमें से 12213, 10114, 10091 वर्गफीट कुल 32418 वर्गफीट यानी कि 3011 वर्गफीट का क्षेत्र ऑपन टू स्काई/टेरिस एरिया/बालकनी बताई गई थी लेकिन बिल्डर्स द्वारा इस खाली क्षेत्र पर भी 3 रूफ टॉफ रेस्टोरेन्ट व क्लब बना दिये गये है जिसमें से दो क्लब पूनो और नियो मौके पर संचालित है और एक क्लब वन–ऐट–कम्यून का कार्य भी निमार्णाधीन है जिसका मालिक विराट कोहली को बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नियो क्लब द्वारा अपने क्लब में आबकारी विभाग से 20 कमरों की हॉटल बार का लाईसेंस लिया गया है। यानी कि बिना जविना की अनुमति के इस बिल्डिंग में 20 कमरों वाली हॉटल भी संचालित हो रही है जिसका सीधा मतलब है कि बिल्डर्स द्वारा खुले आम जविप्रा विनियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और जविना के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे है।'' प्राप्त हुई है जिसकी जाँच हेतु जोन द्वारा टीम का गठन कर जिसमें डी.टी.पी. (मास्टर प्लान), जोन–01 के सहायक नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियंता और अर्बन प्लानर को लगाया गया है। टीम द्वारा मौके व रिकॉर्ड की जाँच की गईद्य जिसकी परफोर्म रिपोर्ट प्रवर्तन शाखा जोन–1 में भिजवाई जा चुकी है। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में वाद संख्या–12656/2023 जयनारायण त्रिवेदी बनाम् राजस्थान सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 29.07.2024 नियत थी जो आदिनांक तक यथावत है। प्रश्नगत प्रकरण में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में अधिवक्ता श्री अमित कुड़ी से राय मांगी गई है तथा इसी संबंध में निदेशक (विधि) प्रकोष्ठ जविप्रा से भी राय ली गई।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में प्रकरण में निम्न बिन्दुओं बाबत प्रकरण बीपीसी–बीपी की 299वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 में प्रस्तुत किया गयाः–

1. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 16.6 अनुसार यदि किसी भू–खण्ड मे एक से अधिक बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण प्रस्तावित हो तो आंषिक पूर्णता प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक के लिए जिसका निर्माण पूर्ण हो गया हो, पृथक रूप से भी किया जा सकता है। परन्तु भवन विनियम में आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है। विकासकर्ता द्वारा सम्पूर्ण परियोजना में से केवल व्यवसायिक ब्लॉक का पंजीकृत वास्तुविद द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
2. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 16.6 अनुसार आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के पश्चात् यदि भूखण्ड पर कोई नियम विरुद्ध निर्माण किया जाता है तो आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल निरस्त किया जाकर उस भूखण्ड पर किये जा रहे निर्माण को बंद करवाया जा सकेगा तथा भवन को सीज किया जा सकेगा। जोन–01 की रिपोर्ट अनुसार मौके पर व्यवसायिक ब्लॉक पर अनाधिकृत निर्माण किया गया है। अतः पंजीकृत वास्तुविद द्वारा दिनांक 13.09.2022 को व्यवसायिक

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

ब्लॉक हेतु जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र को नियमानुसार निरस्त किये जाने बाबत विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

3. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 18 अनुसार 18 दण्डात्मक व्यवस्था (Penalty/ Punishment Provision):–

18.1 भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पूर्णरूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।

18.2 ऐसे किसी पंजीकृत तकनीकीविद, जिसके द्वारा व्यवसाय की आचरण संहिता का उल्लंघन किया जाना अथवा गलत कथन किया जाना अथवा किसी सारवान तथ्य को गलत प्रस्तुत किये जाना अथवा सारवान तथ्यों को छुपाये जाना पाया जाता है, के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीयन निलम्बित/रद्द किया जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

18.3 गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रावधान संख्या 18 अनुसार विकासकर्ता एवं संबंधित वास्तुविद के विरूद्ध कार्यवाही की जाने के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

4. विकासकर्ता द्वारा मौके पर अनुमोदित मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण किया गया है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 23.05.2023 (2.5 वर्ष की मानचित्र की वैधता बढाने हेतु) के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

5. व्यवसायिक ब्लॉक में किये गये अवैध निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही जोन स्तर पर किये जाने हेतु के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**उपरोक्त तथ्यों सहित प्रकरण बीपीसी–बीपी की 299वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयों के क्रम में आवेदक/वास्तुविद/जोन से प्राप्त प्रतिवेदन/जबाव के संबंध में टिप्पणी निम्नानुसार है :–**

| क्र.सं. | बीपीसी–बीपी की 299वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 में लिये गये निर्णय | आवेदक/वास्तुविद/जोन से प्राप्त प्रतिवेदन/जबाव | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रकरण में वास्तुविद द्वारा आवासीय सह व्यावसायिक परियोजना में से केवल व्यावसायिक भवन हेतु पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भवन विनियमों में परियोजना के | उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या–01 के क्रम में आवेदक द्वारा दिनांक 18.09.2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर यह स्पष्टीकरण दिया गया कि "उक्त भूखण्ड का अधिवास प्रमाण पत्र हमारे द्वारा 13.10.2022 को जारी किया गया। जिसके संबंध में | भवन विनियमों के अनुसार आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है, परंतु आंशिक अधिवास प्रमाण–पत्र जारी |

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

| | | | |
|---|---|---|---|
| | आंशिक भाग का अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है। अतः बैठक के दौरान संबंधित वास्तुविद् द्वारा परियोजना के आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय मांगा गया, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। | जविप्रा से दिनांक 21.08.2024 को पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें आप द्वारा यह कहा गया कि भवन विनियमों में परियोजना के आंशिक भाग का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नही है। हमने पूर्णतः एवं अधिवास प्रमाण जारी इसलिये किया क्योंकि जविप्रा द्वारा इस भाग का अलग से मानचित्र अनुमोदन किया गया है। जिसका पत्र दिनांक 27.08.2020 को जारी किया गया है जिसकी प्रति साथ में संलग्न है। बिल्डिंग के इस भाग का इलेक्टिक कनेक्शन भी बिलकुल अलग है और इसकी फायर एनओसी भी बिलकुल अलग है। हमे रेरा कम्प्लायंस भी करनी पड़ती है। जिसमें इसकी आवश्यकता होती है और इसे जीएसटी विभाग में भी देना पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।'' | किये जाने का प्रावधान नहीं है । |
| 2. | व्यावसायिक ब्लॉक पर स्थित अवैध निर्माण के संबंध में विकासकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा उक्त भाग का बेचान किसी अन्य को कर दिया गया है एवं उक्त के संबंध में प्रतिवेदन मय साक्ष्य | उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या–02 के क्रम में जोन से प्राप्त जवाब अनुसार ''व्यावसायिक ब्लॉक पर स्थित अवैध निर्माण के संबंध में जोन स्तर से परफोर्मा रिपोर्ट दिनांक 09.07.2024 को तैयार कर प्रवर्तन अधिकारी जोन–01 को प्रेषित की जा चुकी है।'' | उक्त के क्रम में अग्रिम कार्यवाही जोन एवं प्रवर्तन शाखा द्वारा अपेक्षित है। |

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

| | | | |
|---|---|---|---|
| | आयुक्त, जविप्रा को दिनांक 13.08.2024 को प्रस्तुत कर दिये गये है। समिति द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में अवैध निर्माण के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट जोन द्वारा तैयार कर विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावें। | | |
| 3. | संबंधित जोन द्वारा प्रश्नगत परियोजना के संबंध में स्वामित्व, वाद–विवाद, बकाया राशि के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट बीपीसी–बीपी को शीघ्र प्रेषित की जावें। | उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या–03 के क्रम में जोन से प्राप्त जवाब अनुसार "तहसीलदार, भू अभिलेख तहसील सांगानेर जयपुर के पत्रांक/भू.अ./जेडीए/24/ 6938 दिनांक 30.08.2024 के अनुसार प्रकरण से संबंधित खसरा नम्बर 177 रकबा 12.34 हैक्टेयर खसरा नम्बर 178 रकबा 5.56 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 181 रकबा 5.57 हैक्टैयर भूमि इण्डस्ट्रीज केप्स्टन मीटर कम्पनी इण्डिया लि. लीज 99 वर्ष हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज अंकित है। उक्त खसरा नम्बर पर माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर द्वितीय का स्थगन अंकित है। इसके अतिरिक्त उक्त खसरों में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर डीबी सिविल रिट याचिका, पीआईएल संख्या 12656/2023 जय नारायण त्रिवेदी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य | जोन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वाद–विवाद विचाराधीन बताया गया है परंतु प्रकरण में बकाया राशि के संबंध टिप्पणी नही कि गयी है । |

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | वर्तमान में विचाराधीन है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 26.09.2024 नियम है।'' | |
| 4. | उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 की अनुपालना मय परीक्षण उपरान्त प्रकरण को पुनः निर्माण अवधि विस्तार बाबत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें। | — | — |

**निर्णयः—** *समिति द्वारा एजेण्डा नोट एवं पूर्व निर्णय का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 13.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भाग का बेचान किया जा चुका है एवं क्रेता द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गयेः—*

1. *प्रकरण में वास्तुविद द्वारा आवासीय सह व्यावसायिक परियोजना में से केवल व्यावसायिक भवन हेतु पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वर्तमान में प्रचलित भवन विनियम 2020 में परियोजना के आंशिक भाग का अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। चूंकि वास्तुविद का पंजीकरण मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा किया गया है। अतः प्रकरण में वास्तुविद् द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को पत्र प्रेषित किया जावें।*
2. *व्यावसायिक ब्लॉक पर स्थित अवैध निर्माण के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के क्रम में क्रेता द्वारा अवैध निर्माण किये जाने की स्थिति में विकासकर्ता/क्रेता का RERA नियमों/भवन विनियम के अन्तर्गत क्या दायित्व बनता है, के संबंध में परीक्षण कर, आगामी बैठक में रखा जावें।*
3. *उपायुक्त जोन द्वारा प्रश्नगत परियोजना के संबंध में स्वामित्व, वाद—विवाद, बकाया राशि के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट बीपीसी—बीपी को 07 दिवस में प्रेषित की जावें।*

*उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 व 3 की अनुपालना मय परीक्षण उपरान्त, प्रकरण को पुनः निर्माण अवधि विस्तार बाबत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।*

**सदस्य सचिव एवं**
**अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,**
**भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),**
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

**3. एजेण्डा नम्बर 305.3 (24.09.2024):–(जोन–02)**

| भूखण्ड़ एवं स्वामित्व / लेखा का विवरण:– | | |
|---|---|---|
| 1. | भूखण्ड़ का विवरण | भूखण्ड संख्या 6 / पी / 8, विद्याधर नगर, सेक्टर–6, जयपुर, राज। |
| 2. | भूखण्ड का क्षेत्रफल | 3586.80 वर्गमीटर |
| 3. | भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई | 12 मीटर (सामने), |
| 4. | भूखण्ड़ के आवंटन की प्रकृति– 90ए / 90बी के तहत आवंटित / नीलामी / रियायती पर आवंटित | जविप्रा की संस्थानिक योजना का दिनांक 14.12.2023 को संस्थानिक प्रयोजनार्थ लीज–होल्ड पट्टा–विलेख जारी किया गया। |
| 5. | पुर्नगठित / एकल पट्टा / उप विभाजन / एकल पट्टों से पुर्नगठित | एकल पट्टा |
| 6. | परियोजना–समूह आवास / मुख्यमंत्री जन आवास योजना / फ्लैट्स / स्टूडियों अपार्टमेन्ट / व्यावसायिक / होटल / मिश्रित उपयोग / वेयर हाउस / रिसोर्ट / मोटल / पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं तो। | संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्। |
| 7. | आवेदक का नाम | लेडी एम. बी. मेमोरियल सोसाइटी संस्था की अध्यक्ष श्रीमति भावना शर्मा |
| 8 | स्वामित्व रिपोर्ट | जोन की ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व लेडी एम. बी. मेमोरियल सोसाइटी संस्था की सचिव श्री संगम मिश्रा पुत्र श्री जे.पी. मिश्रा नाम है। |
| 9 | लेखा रिपोर्ट | जोन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गणना किया जाना है। |
| 10 | निर्माण अवधि की दिनांक | जोन की ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में संस्थानिक प्रयोजनार्थ लीज–होल्ड पट्टा–विलेख दिनांक 14.12.2023 को जारी किया गया, अतः भवन निर्माण अवधि 7 वर्ष अर्थात दिनांक 13.12. 2030 तक देय होगी। |
| 11 | वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक | श्री रक्षिता माथुर, सी.ए. / 2017 / 90467 |
| • नाहरगढ ईको सेन्सेटिव जोन से प्रभावित हैं अथवा नहीं | | नहीं |
| • आर्मी कन्टोनमेन्ट एरिया की 500 मीटर की परिधि में हैं अथवा नहीं | | नहीं |
| • एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक हैं अथवा नहीं | | नहीं |

**भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार:–**

| 12 | तकनीकी विश्लेषण | जविप्रा के स्थल मानचित्रानुसार / भवन | आवेदक के प्रस्ताव अनुसार | नियमानुसार हैं अथवा नहीं |
|---|---|---|---|---|

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

| | | विनियम 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सैटबैक | | | |
| | सामने–I | 3.0 मी. | 9.10 मी. | न्युनतम आवश्यक (ऊँचाई का 1/4) से अधिक प्रस्तावित है। जो कि नियमानुसार हैं। |
| | पार्श्व–I | 9.0 मी. | 9.10 मी. | |
| | पार्श्व–II | 9.0 मी. | 9.10 मी. | |
| | पीछे | 9.0 मी. | 9.10 मी. | |
| 2. | अधिकतम आच्छादन | 40 प्रतिशत (1434.72 व.मी.) | 34.11 प्रतिशत (1223.457 व.मी.) | नियमानुसार हैं। |
| 3. | अधिकतम ऊँचाई | स्टील + 18 मीटर (भवन विनियमानुसार) एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 16.07.2024 अनुसार 100 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 15.07.2032 तक है। | 1.05 मी. (प्लिन्थ) + 3.90 मी. बेसमेन्ट + 15 मी. (भूतल + 4 तल) = **15 मी.** + 2.40 मी. (ममटी / मशीन रूम) कुल = 18.45 मी. | प्लिन्थ छोडकर + भूतल + 4 तल की ऊँचाई 15 मी. (भूतल + 4 तल) है। जो कि 40 मीटर से कम है अतः राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। |
| 4. | तलों की संख्या | – | भूतल + 4 तल | नियमानुसार हैं। |
| 5. | सकल निर्मित क्षेत्रफल | – | 7,888.07 व.मी. | नियमानुसार हैं। |
| 6. | बी. ए. आर. | 2.00 (7173.6 व.मी.) | 1.686 (6049.57 व.मी.) | नियमानुसार हैं। |
| 7. | पार्किंग | 57.86 (52.60+5.26) ईसीयू 29 कार + 44 स्कूटर + 15 बस | 74 ईसीयू 41 कार + 54 स्कूटर + 15 बस | नियमानुसार हैं। |
| 8 | आवासों की संख्या | – | – | – |
| 9 | ग्रीन एरिया | संस्थानिक भूखण्डों हेतु निर्धारित नहीं है । | दर्शाया गया है। | नियम निर्धारित नहीं है। |
| 10. | सुविधायें | – | लागू नहीं हैं । | |
| 11 | व्यावसायिक (रिटेल) | लागू नहीं हैं । | लागू नहीं हैं । | |

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 10.3.2:—क्षरण क्षेत्र (Refuge area) (संबंधित तल का 10 प्रतिशत या तीन तरफ खुली बालकनी या डबल हाईट टैरेस) नविवि के आदेश दिनांक 29.11.2022 अनुसार बहुमंजिला आवासीय भवनों डबल हाईट टैरेस (दो ओर खुली हुई) अथवा बालकनी होने पर पृथक से क्षरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी। | बहुमंजिला भवनों हेतु लागू है। | लागू नहीं हैं । | |
| | 13 | 10.3.2(ix) 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्र | लागू नहीं हैं । | लागू नहीं हैं । | — |
| | 14 | 10.3.2(x) भवन में अपेक्षित सेवाओ हेतु मानचित्रों के 2 सैट निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् | लागू नहीं हैं । | लागू नहीं हैं । | — |
| | 15 | 10.10(viii):—40 मीटर से अधिक ऊँचाई हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति | लागू नहीं हैं । | लागू नहीं हैं । | — |
| | 16 | 10.11.1:—वर्षा जल संग्रहण का चिन्हिकरण | आवश्यक है। | मानचित्रों में अंकित हैं। | नियमानुसार हैं। |
| | 17 | 10.11.2:—अपशिष्ठ जल का शुद्धिकरण व रिसाईकिलिंग | 2500 व.मी. से अधिक भूखण्ड़ के क्षेत्रफल हेतु शपथ पत्र | लागू हैं । | मांग पत्र में उल्लेख किया जाना है। |
| | 18 | 10.11.2(4) सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का | 10,000 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल | | |

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रावधान | हेतु शपथ पत्र | | |
| | 19 | 10.11.3:—पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण | आवश्यक नहीं हैं। | लागू नहीं हैं । | — |
| | 20 | 10.11.4(ii) सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेन्द्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा। | आवश्यक नहीं हैं। | मानचित्रों में चिन्हित हैं। | — |
| | 21 | 12.1.2:—आगन्तुक पार्किंग का दर्शाया जाना | आवश्यक है। | चिन्हित है। | नियमानुसार हैं। |
| | 22 | 12.1.15 के अनुसार पार्किंग के प्रावधानों की पालना | आवश्यक है। | शपथ पत्र प्रस्तुत है। | — |
| | 23 | 12.1.18:—पार्किंग सर्कुलेशन प्लान | आवश्यक हैं। | प्रस्तुत हैं। | नियमानुसार हैं। |
| | 24 | 14:—विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश पथ/उप पथ/पहुँच मार्ग/ रेम्प/शौचालय/ पार्किंग आदि का प्रावधान | आवश्यक है। | मानचित्रों में प्रस्तावित हैं। | नियमानुसार हैं। |
| | 25 | 17.1:— Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त | 20,000 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिवास प्रमाण—पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना हैं। | लागू नहीं हैं । | — |
| | 26 | बीपीसी—बीपी की 243वीं बैठक दिनांक 23.07.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार तडित चालक का प्रावधान | लागू नहीं हैं । | लागू नहीं हैं । | — |
| | 27 | बीपीसी—बीपी की 246वीं बैठक दिनांक 15.09.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णय | कुल आवंटियों में से दो तिहाई (2/3rd) आवंटियों की सहमति | लागू नहीं है। | — |

RajKaj Ref
10814313

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसार संशोधन / विस्तार हेतु ईकाईयों के आवंटियो की सहमति | | | |
| | 28 | राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(9)नविवि/2020 पार्ट–III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार लेबर सेस | लागू है। | लेय हैं। | मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं। |
| | 29 | रेरा में पंजीकरण | लागू नहीं है। | लागू नहीं है। | – |
| | 30 | ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रस्ताव अथवा 100/– प्रति व.फी. की दर से बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड लेय हैं। | लागू नहीं है। | लागू नहीं है। | – |
| | 31 | भवन विनियम के अनुरूप बिना अनुमति निर्माण शास्ति | लागू नहीं है। | लेय नहीं हैं। | – |
| | 32 | अग्निशमन शुल्क | लागू है। | लेय है । | मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं। |
| | 33 | प्रस्तावित बी.ए.आर. ई.डब्ल्यू.एस./एल. आई.जी. हेतु | लागू नहीं हैं । | लागू नहीं हैं । | – |
| | 34 | सौर ऊर्जा का प्रावधान | आवश्यक हैं। | मानचित्रों में प्रस्तुत है। | नियमानुसार हैं। |
| 13 | **मौका रिपोर्टः–**वर्तमान में भूखण्ड रिक्त है। भूखण्ड की नापें जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार उपलब्ध है। भूखण्ड के सामने प्रस्तावित 12 मीटर सडक उपलब्ध है। CCZM अनुसार भूखण्ड पर 45 मीटर ऊंचाई का भवन निर्माण किया जा सकता है । इसलिए प्रस्तावित 15 मीटर उंचाई के भवन मानचित्रों हेतु एयरपोर्ट एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं है । | | | | |
| 14 | **प्रकरण के तथ्यः–**विकासकर्ता द्वारा संस्थानिक स्कूल के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन ऑनलाईन क्रमांक JDA/2024-25/BPAS/738 पर किया गया। | | | | |
| 15. | **प्रस्तावः–**विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के उपरोक्त तालिका में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य हैं। विकासकर्ता द्वारा निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित की जानी होगीः–<br>1. जोन की ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार जविप्रा की संस्थानिक योजना के संस्थानिक भूखण्ड का लीज–होल्ड पट्टा–विलेख दिनांक 14.12.2023 को जारी किया गया, अतः | | | | |

RajKaj Ref
10814313

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

| | |
|---|---|
| | भवन निर्माण अवधि 7 वर्ष अर्थात दिनांक 13.12.2030 तक देय होगी।<br>2. भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष देय होगी।<br>3. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(9)नविवि/2020पार्ट–III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।<br>4. नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्यस्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में विकासकर्ता द्वारा जमा कराया जावेंगा।<br>5. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में बी.ए.आर 1.686(6049.57 वर्ग मीटर )प्रस्तावित किया गया है। भवन विनियम 2020 के अनुसार मानक बी.ए.आर. 2.00 (7173.60 व.मी.) अनुज्ञेय है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्रों में अतिरिक्त बी.ए.आर. प्रस्तावित नहीं किया गया है । इसलिए नियमानुसार बेटरमेंट लेवी लेय नहीं होगी।<br>6. विकासकर्ता द्वारा भवन की 0.30 मी. (प्लिन्थ) + 15 मी. (भूतल से 4 तल)= 15 मी. + 2.40 मी. (ममटी/मशीन रूम) कुल 17.40 मी. ऊँचाई प्रस्तावित की है, जो कि 40 मीटर से अधिक नहीं है। अतः राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(78)नविवि/जयपुर/2017 दिनांक 26.09.2020 के बिन्दु संख्या (iii) के अनुसार प्रकरण में मानचित्रों के अनुमोदन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है ।<br>7. भवन विनियम के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता आवेदक स्तर से भूखण्ड पर करने के संबंध में भवन निर्माण स्वीकृती पत्र में किया जाना है ।<br>8. नियमानुसार अन्य शुल्क लेय होगें। |

***निर्णयः–*** *प्रस्तावित भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया। उक्त बैठक में विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। समिति को अवगत करवाया गया कि विधाधर नगर, सेक्टर 6, जयपुर के मूल योजना मानचित्र एवं संशोधन दिनांक 05.01.2018 में उक्त भूखण्ड हेतु 12 मीटर सडक की ओर 12 मीटर अग्र सेटबैक निर्धारित था, जिसे पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक संख्या 07/2022–23 दिनांक 22.09.2022 के निर्णय के क्रम में जोन द्वारा 3 मीटर निर्धारित किया गया है। पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक संख्या 07/2022–23 दिनांक 22.09.2022 के निर्णय में केवल भूखण्ड का एण्डयूज प्राथमिक विधालय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया था। भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 5.4(ख) में उल्लेख है कि " न्यूनतम अग्र सैटबेक मूल भूखण्ड/परियोजना स्वीकृति के अनुसार निर्धारित अथवा वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार जो भी अधिक हो रखने होंगे। पुर्नगठित भूखण्डों/उपविभाजित भूखण्डों/एकल भूखण्डों के अनुमोदित अग्र सेटबैक को मूल भूखण्ड/परियोजना स्वीकृति के अनुसार अनुमोदित भवन रेखा का आधार नहीं माना जायेंगा। वर्तमान में लागू भवन विनियम 2020 से पूर्व पुर्नगठित भूखण्डों/उपविभाजित भूखण्डों/एकल भूखण्डों के पूर्व में निर्धारित अग्र सेटबैक का पुनः निर्धारण वर्तमान में लागू भवन विनियमों के अनुरूप किया जा सकेंगा, जो कि मूल योजना में उस भूखण्ड की लाईन में निर्धारित सेटबैक अथवा भवन विनियम 2020 के बिन्दु संख्या*

RajKaj Ref
10814313

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

*10.7 की तालिका 4.1 में सडक की चौडाई के आधार पर निर्धारित सेटबैक से कम नहीं होगा। ऐसे प्रकरण जिनमें भवन विनियम 2020 लागू होने के उपरान्त सेटबैक का निर्धारण किया गया है। उक्त प्रावधान के अनुरूप अग्र सेटबैक, का पुनः निर्धारण किया जाकर संशोधित साईट प्लान जारी किया जा सकेंगा। अन्य सैटबेक वर्तमान प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार देय होंगे।" साथ ही संस्था द्वारा भवन विनियम 2020 के PART– IV में विधाधर नगर योजना हेतु निर्धारित– Special Controls For Architectural and Urban from in Institutional Blocks of Vidhyadhar Nagar प्रावधानों की पालना नहीं की गई है।*

*अतः प्रकरण के संबंध में समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गयेः–*

1. *जोन द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड हेतु 12 मीटर सडक की ओर 12 मीटर अग्र सेटबैक दर्शाते हुए जारी साईट प्लान को संशोधित कर जारी किया जावें।*
2. *संबंधित विकासकर्ता को उक्तानुसार अग्र सेटबैक 12 मीटर निर्धारित करते हुए एवं भवन विनियम 2020 में उल्लेखित Special Controls For Architectural and Urban from in Institutional Blocks of Vidhyadhar Nagar अनुसार मानचित्रों में संशोधन करने हेतु सूचित किया जावें।*
3. *संशोधित साईट प्लान जारी होने के पश्चात उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त होने पर, परीक्षण कर, प्रकरण को बैठक में रखा जावें।*

**सदस्य सचिव एवं**
**अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,**
**भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),**
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी(बीपी)/2024/डी–1409 दिनांक 30/9/2024

**प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1.निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय, नविवि एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2.वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3.निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4.निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5.अति. आयुक्त (समस्त), जविप्रा, जयपुर।
6.समस्त उपायुक्त जोन ...................जविप्रा, जयपुर।
7.सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8.निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

**सदस्य सचिव एवं**
**अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,**
**भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),**
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved

परिशिष्ठ–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 305वीं बैठक दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 11.00 बजे आयुक्त महोदया, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

| | |
|---|---|
| 1. श्रीमती आनन्दी, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. निशान्त जैन, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री विनय कुमार दलेला, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्रीमती प्रिया बलराम शर्मा, अति. आयु.(प्रशासन), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 5. सुश्री प्रगति आसोपा, उपायुक्त जोन–01, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 6. श्रीमती श्यामा राठौड, उपायुक्त जोन–02, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 7. श्रीमती रिंकू बसंल, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

**बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थेः–**

1. श्री अंकुर दाधीच, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री महेन्द्र मीणा, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री विजय मीणा, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
4. डॉ. राकेश कुमार मीणा, उपायुक्त जोन–05 व 12, जविप्रा, जयपुर।
5. सुश्री दीप्ती बमणावत, सहायक नगर नियोजक, जोन–13, जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती स्नेहा सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन–02, जविप्रा, जयपुर।

**अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,**
**भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),**
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

RajKaj Ref
10814313

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.09.30 14:22:57 IST
Reason: Approved